न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–10 / 2012

दामोदर चौधरी वगैरह.....वादीगण

बनाम

गणेश चौधरी वगैरह.....प्रतिवादीगण

31.05.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 151, 152 एवं 153 के अंतर्गत वाद की प्रास्थिति के संबंध में सुधार हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–06.01.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद ग्रहण किए जाने का आदेश नहीं है जबकि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। इस तथ्य की जानकारी उन्हें प्रतिस्थापन के पश्चात् उपस्थित होने पर हुई है और यदि वाद नियमतः ग्रहण नहीं होता है तो इसके निर्णय एवं डिक्री पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः वाद के ग्रहण संबंधी आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

इस आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद दिनांक–06.01.2012 को दाखिल किया गया और सिरिस्तेदार प्रतिवेदन के पश्चात् आदेशफलक दिनांक–20.03.2012 के द्वारा वादी को प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु आवश्यक अपेक्षिताएं दाखिल करने का निर्देश हुआ। उस आदेश में कुछ शब्द खाली छोड़े गए हैं जिसके संबंध में वादी का निवेदन है कि वहाँ पर 'ग्रहण' शब्द जोड़ा जाए। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 9 के अनुसार यह स्पष्ट है कि वाद के स्वीकृत होने के पश्चात् ही वादी को प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु सात दिनों के भीतर सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करने का निर्देश होता है और कहीं भी वाद के ग्रहण के संबंध में विनिर्दिष्ट आदेश संबंधी प्रावधान नहीं है। अतः यह माना जाएगा कि आदेश दिनांक–20.03.2012 द्वारा निवर्तमान न्यायालय द्वारा वाद के ग्रहण के संबंध में आवश्यक संज्ञान लिया जा चुका है और उसके पश्चात् प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। अतः उस आदेश में ग्रहण शब्द का आज की तिथि में जोड़ा जाना अभिलेख के तथ्य से छेड़–छाड़ माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्य से आवश्यक भी नहीं है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन उपरोक्त दिशा–निर्देश के आधार पर निष्पादित किया जाता है।

वाद दिनांक– 21-6-23 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।